

14/2018

दोपैकडी मोडुसैने

ना
जो
तामील

पुडी है. पुडि न्यायालय द्वारा मे प्रयोग द्वारा
प्रयोगपत्र बाद खानातरण का प्रस्तुत किया है,
जिसमें इस न्यायालय द्वारा नियम लिखे जाने
से पूर्व ही पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक
25/11/18 को ही नियम पारित किया जा चुका
है। ऐसी स्थिति में प्रयोग के प्रयोगपत्र पर
कोई विचार/अनुसंधान दिया जाना प्रेष नहीं रहा
है। पुडि प्रयोग द्वारा विदित किया गया है
कि उनके द्वारा उपलब्ध अधिकारी, दण्ड के
आदेश दि० 25/11/18 के विरुद्ध न्यायालय मूठुंठु
अधिकारी एवं चेदेन राजस्व अपील अधिकारी, केय
के यहाँ अपील शायर कर दी गयी है। इसलिये
अब विधि सम्मत नियम/प्रयोग ही अपीलिय
न्यायालय द्वारा ही लिया जावेगा। प्रयोगपत्र
के स्तर पर कोई नियम लिखा जाना प्रेष नहीं
रहा है। प्रयोगपत्र खारिज किया जा रहा है। प्रयोग
पत्र फंसल नुमार के रखा बाद तामिल अपील
अत्रिलेख प्रण्डा में प्रेषित हो



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official